प्रेस विज्ञप्ति

20.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ज़ोनल कार्यालय ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन, पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के सुप्रीमो दिनेश गोपे को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत झारखंड के पलामू केंद्रीय कारागार से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद, गोपे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दिनेश गोपे व पीएलएफआई के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर और आरोपपत्रों के आधार पर ईडी ने जाँच शुरू की। इन अपराधों में हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराध और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत दर्ज आपराधिक गतिविधियाँ शामिल हैं।

ईडी की जांच में पता चला है कि दिनेश गोपे, पीएलएफआई के प्रमुख के रूप में, एक व्यापक और संगठित जबरन वसूली रैकेट चला रहा था। वह झारखंड और आसपास के राज्यों में विभिन्न ठेकेदारों, व्यापारियों, कोयला व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से अवैध 'लेवी' की जबरन वसूली में सहायक था, जिससे लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य की अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न हुई। फिर इस जबरन वसूली गई धनराशि को शेल कंपनियों और फर्मों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से व्यवस्थित रूप से लूटा गया। ये संस्थाएं उसकी दो पत्नियों और करीबी सहयोगियों के नाम पर स्थापित की गई थीं, जिसका विशिष्ट उद्देश्य धन के अवैध स्रोत को छिपाना और उन्हें बेदाग दिखाना था। जांच से यह भी पता चला है कि लूटी गई धनराशि का उपयोग पीएलएफआई की परिचालन गतिविधियों के वित्तपोषण, अत्याधुनिक हथियारों और गोला-बारूद की खरीद और कई चल और अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए किया गया था।

पीओसी के सम्पूर्ण सुराग का पता लगाने तथा धन–शोधन नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों और परिसंपत्तियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।